भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 962
दिनांक 08 फरवरी, 2024

पेट्रोल और डीजल की निर्यात खेप

†962. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2021 से 2023 तक पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान एमआरपीएल सहित प्रत्येक पीएसयू तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा पेट्रोल और डीजल के एक प्रतिदर्श निर्यात खेप पर प्रति किलोलीटर (केएल) या मीट्रिक टन (एमटी) प्राप्त मूल्य का (भूटान, नेपाल और श्रीलंका के अलावा) ब्यौरा क्या है;

(ख) जिस पोत पत्तन से निर्यात खेप भेजी गई है, वहां पर एमआरपीएल सहित प्रत्येक पीएसयू ओएमसीएस के प्रचलित लागू आरटीपी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्यात के समय उस पोत पत्तन के आसपास की खुदरा दुकानों पर जहां से निर्यात हुआ था, पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री मूल्य का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के मूल्य क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच पारस्परिक सहमति से होते हैं। ये कंपनियों, प्रेषणों और समयावधियों में अलग-अलग होते हैं।

रिफाइनरी अंतरण मूल्य (आरटीपी) पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए तेल विपणन कंपनियों द्वारा शोधनकर्ताओं को भुगतान किया जाने वाला मूल्य है। आरटीपी का परिकलन प्रत्येक पत्तन और प्रत्येक अंतरदेशीय रिफाइनरी के लिए किया जाता है और मुख्यत: संबंधित पत्तन तक समुद्री भाड़े तथा अंतरदेशीय रिफाइनरियों के लिए निकटतम पत्तन से रिफाइनरी के स्थल तक भाड़े के कारण यह अलग-अलग पत्तनों पर अलग-अलग होता है।

पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करने के साथ रिफाइनरी द्वारा मूल्य को भी क्रमश: 26 जून, 2010 तथा 19 अक्तूबर, 2014 से नियंत्रण मुक्त किया गया था।

कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के वर्तमान खुदरा बिक्री मूल्य क्रमश: 106.03 रुपए तथा 92.76 रुपए प्रति लीटर हैं। 4 महानगरों अर्थात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के दैनिक खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) के ब्यौरे पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) की वेबसाइट अर्थात www.ppac.gov.in पर उपलब्ध हैं।

****